

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸੰ, 720] No. 720] नई दिल्ली, सोमबार, दिसम्बर 21, 2009/अग्रहायण 30, 1931 । NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 2009/AGRAHAYANA 30, 1931

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 914(अ).—तस्वतीं जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) को धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में साका.नि. 740(अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में आगे और निम्निलिखित संशोधन करती है. नामत::—

उक्त अधिसूचना में, अनुबंध-II में, भाग II में, पैरा । में, उप-पैरा (2) के लिए, निम्नितिखित उप-पैरा का प्रतिस्थापन किया जाएगा, नामत: :—

"(2) प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत जांच दल फार्म की जांच करंगा और एल. वन्नामई के पालन के लिए सुविधाओं की उपयुक्तता के संबंध में उनकी सिफारिशों के आधार पर, एल. वन्नामई के पालन के संबंध में फार्मों को अनुमित जारी करने के लिए प्राधिकरण के विचार के लिए सदस्य सचिव द्वारा आवंदनों को देखा जाएगा।"

[फा.भर्स. 33036/1/2008-मा.(श्री-2)]

तरुण श्रीधर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य अधिसृचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं सा.का.नि. 740(अ), वाग्रेख 22 दिसम्बर, 2005 के तहत प्रकाशित हुई थी तथा इसके बाद सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2009 के तहत संशोधन किया गया था। MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2009

G.S.R. 914(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II. Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 740 (E), dated the 22nd December, 2005, namely —

In the said notification, in Annexure-II, in Part II, in Para 1, for sub-para (2), the following sub-para shall be substituted, namely:—

"(2) Inspection team authorised by the Authority shall inspect the farm and based on its recommendation regarding the suitability of the facility for farming of *L. vannamei*, applications shall be processed by the Member Secretary for consideration of the Authority for issuing permission to farms for farming of *L. vannamei*."

[F. No. 33036/1/2008-Fv (T-2)]

TARUN SHRIDHAR, Jt. Secv.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 740(E), dated the 22nd December, 2005 and subsequently amended vide number G.S.R. 302 (E), dated the 30th April, 2009.

4659 (1/2009)